स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण–II के अंतर्गत ग्रे वाटर मैनेजमेंट (GWM) की प्रगति, चुनौतियाँ एवं आगे की राह (2020 से अब तक)

वर्ष 2020 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण–II के अंतर्गत ग्रे वाटर मैनेजमेंट (GWM) पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिले में घरेलू उपयोग से निकलने वाले अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान एवं पुनः उपयोग हेतु सोक पिट, लीच पिट, मैजिक पिट, नालियों का निर्माण, किचन गार्डन से जोड़ना तथा सामुदायिक सोख्ता संरचनाओं का विकास किया गया है। कई ग्राम पंचायतों में घर-घर ग्रे वाटर कनेक्टिविटी, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था तथा स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) की दिशा में प्रगति हुई है। कुछ ग्राम पंचायतें ODF Plus की श्रेणी में भी शामिल हुई हैं।

चुनौतियाँ:
GWM के क्रियान्वयन में तकनीकी समझ की कमी, भू-जल स्तर व मिट्टी की भिन्नता, सीमित वित्तीय संसाधन, भूमि की उपलब्धता, समुदाय की सहभागिता में कमी तथा निर्मित संरचनाओं के रखरखाव (O&M) की कमजोर व्यवस्था प्रमुख चुनौतियाँ रही हैं। शहरीकरण के प्रभाव से जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामों में ग्रे वाटर प्रबंधन और अधिक जटिल हो गया है।

आगे की राह एवं O&M व्यवस्था:
सभी शेष ग्रामों में संतृप्ति (सैचुरेशन) हेतु माइक्रो-प्लानिंग, उपयुक्त तकनीक का चयन, कन्वर्जेन्स (15वां वित्त आयोग, मनरेगा आदि) का प्रभावी उपयोग तथा क्षमता निर्माण आवश्यक है। O&M के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) को सशक्त करना, यूजर चार्ज/पंचायत निधि का प्रावधान, नियमित सफाई एवं मरम्मत, तथा समुदाय आधारित निगरानी को बढ़ावा देना होगा। व्यवहार परिवर्तन संचार (IEC/BCC) के माध्यम से जनभागीदारी सुनिश्चित कर जिले में GWM की दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।